मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12/09/2023

क्र. एफ 16-36/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स सागर मेन्यूफेक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम तामोट, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन में रू. 1075.00 करोड़ (पांच चरणों में) के पूंजी निवेश से प्रस्तावित कॉटन यार्न, निटेड फ्रेब्रिक, ब्लेंडेड यार्न (पालिस्टर कॉटन), डाइड यार्न निर्माण परियोजनायें - 1. चरण - I (DIPIP2204060001), 2. चरण - II (DIPIP2204060002), 3. चरण - III (DIPIP2204060003), 4. चरण - IV (DIPIP2204060004) एवं 5. चरण - V (DIPIP2204060005) के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर रोजगार गणक सम्मिलित करते हुये 30 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/ स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिए गए अतिरिक्त भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** नवीन विद्युत कनेक्शन/ स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिए गए अतिरिक्त भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** परियोजना अंतर्गत प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों तक नियुक्त किये गये नवीन कर्मचारी के प्रशिक्षण में किये गये व्यय हेतु 13000/- प्रति कर्मचारी की दर से प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू. 2 करोड की सीमा तक, की जाये।

5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ दिसम्बर, 2027 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

6. कंपनी द्वारा चरणवार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्येक चरण हेतु स्वीकृति अनुसार सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ. क्र. एफ 16-36/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 12/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभागभोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला-रायसेन ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर, मेसर्स सागर मेन्यूफेक्चरर्स प्रा. लि. द सागर, ई-2/4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग